FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत --- सहायक कलक्टर मु0 --- मुकाम --- धौलपुर ---

उनवान : ठाकुरदास बनाम भंवरसिंह बगैरा

किस्म मुकद्दमा– 152, सीपीसी – नम्बर -----6-----सन्-2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
04.07.2025	प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश हुआ कि न्यायालय में उनवानी प्रकरण ठाकुरदास बनाम भंवरसिंह बगैरा अन्तर्गत 53 आरटीए में निर्णय दिनांक 20.08.2024 को उभयपक्ष की सहमति से दावा प्रारम्भिक डिक्रि किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश दिये गये थे। लेकिन निर्णय व डिक्रि में सहवन से आराजी खसरा नम्बर के अंकन करते हुए आराजी खसरा नम्बर 55, 93, 162 बाकै ग्राम मुस्तफाबाद का सहवन से अंकन रह गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त टंकण भूल को संशोधित किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070 के अवलोकन व मूलवाद के अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि उभयपक्ष की विवादित आराजी खसरा नम्बर 55, 93, 162 बाकै ग्राम मुस्तफाबाद टंकण भूल से छूट गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152, सीपीसी के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि का सुधार किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संख्या 14/2015 उनवानी ठाकुरदास बनाम भंवरसिंह बगैरा के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्रि दिनांक 20.08.2024 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नम्बर 117 के बाद ''55, 93, 162''का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे रहे। आदेश सुनाया गया। उपखण्डाधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)